

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री

(विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता)

(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता)

(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने

(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले

लिया है। मैंने विधि/उच्चतम न्यायालय केन्द्र/राज्य सरकारों के रैगिंग से सम्बन्धित निर्देशों को पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।

3. मैंने धारा-7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि -

क. मैं किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा-3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।

ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा-3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पूर्ण पता

मोबाईल नंबर

कुलसचिव

सोहन सिंह जीना दिश्वविस्तार
अरमोडा उत्तराखण्ड

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री
.....(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) मेरे
पुत्र/पुत्री/पाल्य.....
.....(विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता).....
.....(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने
.....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। रैगिंग निबंध से सम्बन्धित
निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से संबंधित 2010 में उल्लिखित
प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. मैंने धारा-7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए
किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर
सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि -
क. मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा-3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।
ख. मैं अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की
धारा-3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी,
तो मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान
के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के
मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य
प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पूर्ण पता

मोबाईल नंबर

कुलसचिव
सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु०/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर— पिता/अभिभावक

प्रारूप (क)
छात्र द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर—

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)